

निवल-मूल्य प्रमाणपत्र

(गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स द्वारा 30 सितंबर तक डीपीएसएस, आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जाना है)

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के विनियमन पर मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 6 के संदर्भ में, हमने (कंपनी) द्वारा रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है। अभिलेखों के अवलोकन, समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित (जो लागू न हो उसे काट दें) वित्तीय विवरणों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 6 (सी) के अनुसार गणना की गई कंपनी की निवल संपत्ति ₹ _____ है।

यह प्रमाणपत्र कंपनी के अनुरोध पर हमारे द्वारा प्रदान किया गया है। निवल-मूल्य गणना का विवरण नीचे दिया गया है:

----- के निवल मूल्य की गणना ----- के अनुसार

विवरण	राशि (₹)
इकिटी शेयर पूँजी	
जोड़ें:	
अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर	
इकिटी पूँजी में मुक्त आरक्षित निधियाँ शेयर प्रीमियम खाता	
पूँजी आरक्षित निधियाँ (परिसंपत्तियों की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं)	
घटाएँ:	
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ संचित हानियाँ अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य आस्थागित राजस्व व्यय	

स्थान :

दिनांक :

स्टाम्प :

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम: